POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 23.08.2025

थाना करछना पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना करछना पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 251/2025 धारा 108 बीएनएस के वांछित अभियुक्त प्रवीण विश्वकर्मा पुत्र छोटेलाल विश्वकर्मा निवासी ढ़ोलीपुर पनासा थाना करछना जनपद प्रयागराज को आज दिनांक 23.08.2025 को ढ़ोलीपुर पनासा थाना क्षेत्र करछना से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.08.2025 को वादिनी मुकदमा ने थाने पर लिखित सूचना दिया कि मा0 न्यायालय में चले रहे भरण पोषण के मुकदमे पर दबाव डालते हुए धमकी देना, जिससे वादिनी की पुत्री द्वारा मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित होकर कमरे में फाँसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 251/2025 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत कर संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। जिसके क्रम में आज दिनांक-23.08.2025 को वांछित अभियुक्त प्रवीण विश्वकर्मा उपरोक्त को थाना क्षेत्र करछना से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

प्रवीण विश्वकर्मा पुत्र छोटेलाल विश्वकर्मा निवासी ढोलीपुर पनासा थाना करछना प्रयागराज, उम्र करीब 27 वर्ष।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 251/2025 धारा 108 बीएनएस थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 शैतान सिंह थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. हे0का0 विजय यादव थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना मेजा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 461/2025 धारा 140(1) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेजा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 461/2025 धारा 140(1) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त हौसला प्रसाद पटेल पुत्र बैजनाथ पटेल नि0 निवैया पहाडपुर रामनगर थाना मेजा प्रयागराज को टोंस नही के किनारे बन्धना थाना क्षेत्र मेजा से दिनांक 22.08.2025 को गिरफ्तार गिया गया। अपहृत सूर्यलाल पटेल पुत्र स्व0 बेनीमाधव निवासी ग्राम हथसरा पोतनिहा थाना करछना प्रयागराज, उम्र करीब 55 वर्ष को सकुशल बरामद कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.08.2025 को वादी मुकदमा लवकुश पटेल पुत्र सूर्य लाल पटेल निवासी ग्राम हथसरा (पोतनिहा) थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई कि वादी के पुत्र सूर्यलाल पटेल को तहसील मुख्यालय मेजा से जाते समय रास्ते में जान से मारने की नियत

से जबरदस्ती गाडी में बैठा करके ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 461/25 धारा 140 (1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग के अनावरण हेतु थाना मेजा की गठित टीमों द्वारा प्रयास किया जा रहा था। जिसके क्रम में दिनांक 22.08.2025 को अभियुक्त हौसला प्रसाद पटेल उपरोक्त को थाना क्षेत्र मेजा से गिरफ्तार किया गया तथा अपहृत सूर्यलाल पटेल उपरोक्त को सकुशल बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त हौसला प्रसाद पटेल उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि सूर्यलाल पटेल जो कि रिश्ते में मेरे फूफा है, ने धोखे से मेरी पुस्तैनी जमीन अपने नाम करा ली है जिसका मुकदमा तहसील में चल रहा है। हम लोग काफी समझाये लेकिन सूर्यलाल पटेल व उनके घर वाले नही माने तो मैं व मेरे साथियों ने मिलकर सूर्यलाल पटेल (जो साइकिल से तहसील मेजा से वापस आ रहा था) का पीछा करते हुए मौका पाकर सूनसान जगह देखकर उसको अपने कब्जे में लेकर मोबाइल छीनकर अपहरण कर लिये और हम लोग प्लान बनाये कि अगले दिन रजिस्ट्री आफिस में सूर्यलाल पटेल को डरा धमका कर विवादित जमीन अपने पक्ष में रजिस्ट्री करा लेगे और मामला खत्म हो जायेगा कि इसी बीच हम लोग पकड़ लिये गये। गुस्से में आकर हम लोग ने गैरकानूनी कार्य किया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

हौसला प्रसाद पटेल पुत्र बैजनाथ पटेल नि0 निवैया पहाडपुर रामनगर थाना मेजा प्रयागराज, उम्र करीब 30 वर्ष।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 461/25 धारा 140 (1) बीएनएस थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 अक्षय कुमार सिंह, थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज।

2.उ0नि0 नीतेश पाठक, थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज।

3.का0 अमित गुप्ता, थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज।

4.का0 विकाश शर्मा, थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना फाफामऊ पुलिस टीम द्वारा दिनांक-16/08/2025 को घटित दुष्कर्म की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त थरवई के कुशल नेतृत्व में थाना फाफामऊ व सर्विलांस सेल गंगानगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सी0सी0टी0वी0 व सी0डी0आर0 अवलोकन, बयान स्वतंत्र साक्षी तथा मुखबिर खास के निशांनदेही पर थाना फाफामऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-240/25 धारा-115(2)/70(1)/76/351(2)/3(5) भा0न्या0सं0 का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त प्रकाश में आये अभियुक्त हिमांशु भारतीया पुत्र अशोक भारतीया निवासी बजहा थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज को दिनांक 22.08.2025 को थाना फाफामऊ क्षेत्रान्तर्गत बेला कछार के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.08.2025 को समय करीब 04.00 बजे पीड़िता अपने भाई के साथ थाने पर आयी और बतायी कि कल दिनांक-16.08.2025 की शाम को मैं 19.15 बजे अवध हास्पिटल से निकली तथा अपने मित्र सोनू तिवारी के साथ कर्जन पुल से होते हुए शहर की तरफ जा रही थी

कि कर्जन पुल के पास मेरे साथ रेप की घटना हुयी है । वादिनी/पीड़िता के तहरीर पर थाना फाफामऊ पर मुकदमा पंजीकृत कर मेडिकल हेतु म0का0 के साथ पीड़िता को भेजा गया । फाफामऊ पुलिस व उच्चाधिकारीगण के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, घटनास्थल पर पीड़िता के कपड़े बरामद कर फारेन्सिक टीम द्वारा अपने कब्जे में लिया गया तथा घटना के अनावरण हेतु सर्विलांस व एस0ओ0जी0 गंगानगर टीम सहित कुल 8 टीमों का गठन किया गया। पीड़िता से अभियुक्तों के हुलिया के बारे में पूछकर अभियुक्त का स्केच बनवाया गया। स्थानीय लोगों से अभियुक्त का स्केच दिखाकर पूछताछ किया गया तो बरसाती उर्फ अनिल पासी के नाम से चिन्हित किया गया। मुखबिर के माध्यम से संदिग्ध बरसाती उर्फ अनिल पासी की फोटो प्राप्त कर पीड़िता से तश्दीक कराया गया तो पीड़िता द्वारा बताया गया कि यही व्यक्ति है जो मेरे साथ घटना कारित किया है। मुखबिर के पूछताछ व सी0सी0टी0वी0 कैमरे से पता चला कि लड़की को घर पर छोड़ने वाले व्यक्ति हिमांशु व विशाल है। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त हिमांशु सरोज को थाना फाफामऊ पुलिस टीम द्वारा बेला कछार के पास से दिनांक-22.08.2025 को गिरफ्तार किया गया। हिमांशु सरोज से पूछताछ किया गया तो बताया कि घटना के दिन 22.30 बजे के आस पास मेरे पास बरसाती ने फोन किया और बताया कि तुम , विशाल के साथ कर्जन पुल के पास आ जाओ। रात का समय होने के कारण मैं और विशाल कर्जन पुल पर चाकू लेकर पहुंचे लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया, हम लोग वापस आ गये, दुबारा बरसाती का फोन आने पर हम लोग फिर से कर्जन पुल गये तो वहां बरसाती व पीड़िता कर्जन पुल के नीचे झाड़ियों के पास मिले, बरसाती हम लोगों के सामने लड़की को मारा-पीटा। हम सभी लोग मिलकर लड़की को धमकाये कि इस घटना के बारे में किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे। बरसाती ने कहा कि तुम लोग इस लड़की को इसके घर पर छोड़ आओ। रास्ते में अगर ये चिल्लाये या कुछ बोले तो जान से मार देना तो हम दोनों ने लड़की को अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाकर लड़की के कहने पर उसकी सहेली के घर शान्तिपुरम सेक्टर ए छोड़ने गये। मैं (हिमांशु) शान्तिपुरम से पहले वी0बी0एस0 स्कूल के पास ऊतर गया। विशाल लड़की को उसके घर तक छोड़कर वापस वी0बी0एस0 स्कूल के पास आया और हम अपने अपने घर चले गये। सी0सी0टी0वी0 फुटेज टीम द्वारा ICCC व लोकल कैमरें चेक किये गये तो कर्जन पुल पर घटना के समय विशाल और हिमांशु जाते हुए तथा वापस आते हुए दिखाई दिये। पुनः विशाल और हिमांशु कर्जन पुल पर जाते

हुए दिखायी दिये फिर विशाल सेक्टर ए शान्तिपुरम में लड़की को पीछे बिठाये जाते हुए दिखायी दिया व लड़की के सहेली के घर छोड़कर वापस आते हुए दिखाई दिया। पुरानी चुंगी पर भी कैमरे में विशाल वापस आते हुए दिखायी दिया। इलेक्ट्रानिक एवं सर्विलांस साक्ष्यों के अवलोकन से अनिल पासी उर्फ बरसाती , विशाल पटेल व हिमांशु भारतीया उर्फ सरोज के घटनास्थल पर होने की पुष्टि हुयी। पीड़िता का धारा-183 भा0ना0सु0सं0 का बयान मा0 न्यायालय में अंकित होना शेष है। स्थानीय व्यक्तियों, स्थानीय मुखबिर, सर्विलांस टीम व सी0सी0टी0वी0 कैमरा आदि के माध्यम से 03 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया है तथा एक अभियुक्त अभी अज्ञात है। अभियुक्त 1.बरसाती उर्फ अनिल भारतीया पुत्र रामफेर भारतीया निवासी गदियानी थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज 2. हिमांशु सरोज पुत्र अशोक सरोज निवासी बजहा थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज 3. विशाल पटेल पुत्र मोहन पटेल निवासी कासीपुर थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज, एक व्यक्ति अभी अज्ञात है जिसमें अभियुक्त हिमांशु उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा शेष अभियुक्तगण के गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है तथा अभियुक्तों पर 25-25 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

हिमांशु भारतीया पुत्र अशोक भारतीया निवासी बजहा थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 20 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-240/25 धारा-115(2)/70(1)/76/351(2)/3(5) भा0न्या0सं0 फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष अश्वनी कुमार सिंह, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 दिनेश कुमार यादव, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 अतुल सिंह, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।

4. उ0नि0शैलेन्द्र कुमार, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. का0दीपक पासवान, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना थरवई पुलिस टीम द्वारा लूट के अभियोग से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त थरवई के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना थरवई पर पंजीकृत मु0अ0सं0-266/2021 धारा-394 भा0द0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दीपक भारतीया उर्फ नन्चू पुत्र रामराज भारतीया निवासी गारापुर माधोपुर थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना थरवई पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-23.08.2025 को थाना थरवई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मनसैता स्थित पानी की टंकी तिराहे के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त द्वारा अपने अन्य 02 साथियों के साथ दिनांक-07.10.2021 को थाना थवरई क्षेत्रान्तर्गत पड़िला मंदिर बैजू बाबा पुलिया के पास से आवेदक वीरेन्द्र स्वरूप मिश्र पुत्र स्व0 महेश्वर प्रसाद मिश्र निवासी 535/445 कर्नलगंज थाना कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज से 14000/- रुपया नगद व 01 मोबाइल फोन को छीन लिया लिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना थरवई पर मु0अ0सं0-266/2021 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 02 अन्य अभियुक्तों को पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

दीपक भारतीया उर्फ नन्चू पुत्र रामराज भारतीया निवासी गारापुर माधोपुर थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 26 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-266/2021 धारा-394 भा0द0सं0 थाना थरवई कमिश्नरेट प्रयागराज।

अभियुक्त दीपक भारतीया उर्फ नन्चू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-472/2017 धारा-392/411 भा0द0सं0 थाना थरवई कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0-049/2018 धारा-392/411 भा0द0सं0 थाना थरवई कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. मु0अ0सं0-062/2018 धारा-392/411/506 भा0द0सं0 थाना थरवई कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. मु0अ0सं0-088/2018 धारा-307/41/411 भा0द0सं0 थाना थरवई कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. मु0अ0सं0-090/2018 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना थरवई कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. मु0अ0सं0-161/2018 धारा-392 भा0द0सं0 थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
7. मु0अ0सं0-168/2018 धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना थरवई कमिश्नरेट प्रयागराज।
8. मु0अ0सं0-396/2020 धारा-379 भा0द0सं0 व 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
9. मु0अ0सं0-266/2021 धारा-394 भा0द0सं0 थाना थरवई कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 ओम प्रकाश, थाना थरवई कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 अर्जुन सिंह, थाना थरवई कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. का0 मनीष त्रिपाठी, थाना थरवई कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. का0 अमित कुमार, थाना थरवई कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना सरायइनायत पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त थरवई के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सरायइनायत पर पंजीकृत मु0अ0सं0-290/25 धारा-65(1)/351(3)332(बी) भा0न्या0सं0 व 5(i)/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आकाश पुत्र राजेन्द्र निवासी करनपुर थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सरायइनायत पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-23.08.2025 को थाना सरायइनायत क्षेत्रान्तर्गत सीहीपुर स्थित बगिया के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आकाश पुत्र राजेन्द्र निवासी करनपुर थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 19 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-290/25 धारा-65(1)/351(3)332(बी) भा0न्या0सं0 व 5(i)/6 पॉक्सो एक्ट थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सूर्य प्रकाश सिंह, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. हे0का0 श्रीनिवास, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. का0 राहुल चौधरी, थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना उतरांव पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना उतरांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-382/2020 धारा-394 भा0द0सं0 से सम्बंधित वांछित अभियुक्त अजय कुमार यादव पुत्र राजाराम निवासी ग्राम चकनन्दू शियाडीह थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना उतरांव पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-23.08.2025 को थाना उतरांव क्षेत्रान्तर्गत रहीमपट्टी पुलिया के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक-09.10.2020 को थाना हण्डिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सीकी कला निवासी अर्जुन प्रसाद पुत्र हरीराम भारतीया थाना उतरांव क्षेत्रान्तर्गत कटहरा स्थित बड़ौदा उ0प्र0 बैंक से 72,000/- रुपये निकालकर बैग में रखकर मोटरसाइकिल से वापस अपने घर जा रहे थे कि थाना उतरांव क्षेत्रान्तर्गत दमगढ़ा गांव के पास अज्ञात बदमाशों द्वारा तमंचे के बल पर पैसों से भरा बैग छिन लिया गया, जिसके सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना उतरांव पर मु0अ0सं0-382/2020 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अजय कुमार यादव पुत्र राजाराम निवासी ग्राम चकनन्दू शियाडीह थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 30 वर्ष।

सम्बंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-382/2020 धारा-394 भा0द0सं0 थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष पंकज कुमार त्रिपाठी, थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 अभिषेक यादव, थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 सूरज प्रकाश सिंह, थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. का0 अनीश कुमार, थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. का0 सत्रजीत सिंह, थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना हण्डिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-590/24 धारा-119(1)/191(2)/324(4)/115(2)/352/351(2) भा0न्या0सं0 से सम्बंधित 03 वांछित अभियुक्त 1. सन्तोष कुमार पुत्र रामराज 2. अमित कुमार पुत्र सन्तोष कुमार 3. आशीष कुमार कुमार पुत्र सन्तोष कुमार निवासीगण ग्राम महजना थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा दिनांक-22.08.2025 को थाना हण्डिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम महजना के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि ग्राम प्रधान महजना थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज धर्मेन्द्र कुमार सिंह पुत्र सरजू प्रसाद सिंह द्वारा राजस्व टीम की निशांदेही के उपरांत बनवाये जा रहे पंचायत भवन की बाउंड्री को उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा गिराकर अतिक्रमण किया गया तथा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गयी, जिसके सम्बंध में थाना हण्डिया पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-590/24 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सन्तोष कुमार पुत्र रामराज निवासी ग्राम महजना थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 52 वर्ष।
2. अमित कुमार पुत्र सन्तोष कुमार निवासी ग्राम महजना थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 27 वर्ष।
3. आशीष कुमार कुमार पुत्र सन्तोष कुमार निवासी ग्राम महजना थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 26 वर्ष।

सम्बंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-590/24 धारा-119(1)/191(2)/324(4)/115(2)/352/351(2) भा0न्या0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0निरी0 नितेन्द्र कुमार शुक्ला, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. निरी0 पंकज सिंह, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 योगेन्द्र कुमार सिंह, चौकी प्रभारी इमामगंज थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. उ0नि0 रिजवान असकरी, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. उ0नि0 चंदन कुमार, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. हे0का0 वीरेन्द्र यादव, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
7. का0 अनिल यादव, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।